



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61499

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1980/2026

पवन कुमार @ जगन्नाथ

..... पुनरीक्षणयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

..... प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणयाची के अधिवक्ता : हितेश पचोरी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 86

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

प्रवेश के बिंदु पर पुनरीक्षणयाची के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणयाची द्वारा दिनांक 03.01.2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश (डीडीए अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 3, आगरा द्वारा आपराधिक विविध आवेदन संख्या 1056/2025 में धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत धारा 310(2), 115(2), 352, 351(2), 61(2), 190, 191(2), 191(3), 333 बीएनएस, थाना इरादत नगर, जिला आगरा में पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विचारण न्यायालय में धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत एक आवेदन दायर कर पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी, क्योंकि खेत से संबंधित विवाद के कारण याचिकाकर्ता को प्रतिपक्षी ने पीटा था। इस घटना में बलदेव के गले से घर की कीमती वस्तुएं और सोने की चेन छीन ली गई और ट्रैक्टर को भी नुकसान पहुंचाया गया। गांव के कई लोगों ने घटना देखी और जब उसे बचाया गया, तो वे गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घायल व्यक्ति थाने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब उसने 13.10.2025 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आगरा पुलिस आयुक्त के समक्ष एक आवेदन भेजा , तब भी प्रतिपक्षी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। इसी कारण उसने 28.10.2025 को विचारण न्यायालय में एक आवेदन दायर किया , जिस पर विचारण न्यायालय ने संबंधित थाने से रिपोर्ट मंगवाई। इस संबंध में पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि दोनों पक्षों के बीच भूमि से संबंधित विवाद था और याचिकाकर्ता के खिलाफ इरादत नगर पुलिस स्टेशन में केस क्राइम नंबर 117/2025, धारा 115(2), 352, 351(3) 109(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए , विचारण न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और माना कि पुनरीक्षणयाची ने प्रतिपक्षी पर दबाव बनाने के इरादे से याचिका दायर की है। पुनरीक्षणयाची ने आगे कहा कि चूंकि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था, इसलिए उसने घायल व्यक्ति की चिकित्सकीय जांच निजी अस्पताल में करवाई , जहां उसका इलाज भी किया गया , लेकिन मजरूबी चिट्ठी न होने के कारण सरकारी अस्पताल में उसकी जांच नहीं हो सकी। यह भी कहा गया है कि दोनों मामलों में घटना 12.10.2025 को शाम 5.30 बजे हुई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था और याचिकाकर्ता ने यह याचिका किसी गलत इरादे से दायर की है। संबंधित न्यायालय ने धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय इन तथ्यों की अनदेखी की , अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने और पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करने का अनुरोध है।

विद्वान एजीए ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध किया।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने , याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान एजीए द्वारा प्रस्तुत दलीलों , अभिलेखों के अवलोकन और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2026 को पारित आदेश के आधार पर , विद्वान विशेष न्यायाधीश (डकैती प्रभावित क्षेत्र)/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 3 आगरा के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन की सामग्री से यह प्रतीत होता है कि प्रतिपक्षी हॉकी, लाठी और कुल्हाड़ी से लैस होकर याचिकाकर्ता के घर आए और उन्हें गाली-गलौज करने लगे तथा उन पर हमला भी किया , जिससे घायल व्यक्ति को चोटें आईं। घायल व्यक्ति के शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य वहां आ गए , जिन्हें भी पीटा गया और बलदेव के गले से कीमती सामान और सोने की चेन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



छीन ली गई तथा ट्रैक्टर को भी नुकसान पहुंचाया गया। गांव के लोग वहां आ गए , जिसके परिणामस्वरूप आरोपी वहां से चले गए। वह थाने गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई , जिसके परिणामस्वरूप उसने 13.10.2025 को अपनी चिकित्सकीय जांच करवाई और पुलिस कमिश्नर, आगरा को एक आवेदन भेजा , फिर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया । यह भी ज्ञात हुआ है कि ताराचंद्र ने वर्तमान याचिकाकर्ता और तीन अन्य आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 352, 351(3) और 109(1) बीएनएस के तहत अपराध संख्या 117/2025 दर्ज कराया है। निजी अस्पताल में तैयार की गई चोट रिपोर्ट में घायल व्यक्ति के शरीर पर दर्द की शिका यत और कुछ दवाओं की परामर्श के अलावा कोई अन्य चोट नहीं बताई गई है। विचारण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद संबंधित आदेश पारित किया है , इसलिए इस आपराधिक पुनरीक्षण में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि , याचिकाकर्ता के पास इस संबंध में अदालत में शिकायत दर्ज करने का विकल्प है और यह आदेश इसमें बाधा नहीं बनेगा क्योंकि घटना से संबंधित सभी तथ्य उनकी जानकारी में हैं।

तदनुसार, यह आपराधिक पुनरीक्षण खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

25 मार्च, 2026

अनुराग सिंह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।